तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 34/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
30.3.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) रमेश राणा पुत्र छैलाराम राणा, जाति– भील, निवासी– इन्द्रा कॉलोनी, भीलवास, रानीवाडा रोड, मण्डार, तहसील रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर, फर्म रुबी इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. जी–1, 26–27, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही एवं प्रतिवादी संख्या– 2 (दो) शब्बीर भाई, बोहरा वास, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबाकरर्ता एवं मालिक, फर्म रुबी इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. जी–1, 26–27, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही के अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.11.2020 को फर्म रुबी इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. जी–1, 26–27, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर रमेश राणा (प्रतिवादी संख्या–1) से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ फलेवर्ड सुपारी (खश फलेवर्ड) का नमूना संख्याः एस–1228 में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./765/Act/2020/765 दिनांक 03.12.2020 में artificial sweetener 'Saccharin' के contains पाये गये है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26की उपधारा 2(V) का उल्लंघन होने व धारा 54 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 21.3.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रतिवादीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि फर्म रुबी इण्डस्ट्रीज में फलेवर्ड सुपारी (खस फलेवर्ड) का निर्माण होता है, लेकिन उक्त कारखाने में आम जनता को फलेवर्ड सुपारी (खस फलेवर्ड) का विक्रय हेतु रखे जाने का कथन गलत है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फलेवर्ड सुपारी खश फलेवर्ड के नमू[illegible] अनुसार कार्यवाही नही की गई है। आवेदक खाद्य सु[illegible] ने रमेश राणा के खाली कागजों में हस्ता[illegible] सम्पन्न की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधि[illegible] उक्त फलेवर्ड सुपारी के सेम्पल को टेम्पर विथ कर जांच हेतु भेजी है, जिससे नमूनें के [illegible] ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 34/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

होने की पूर्ण आशंका बनी रहती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46 की उपधारा 4 के तहत नमूनें की रेफरल लेब से पुनः जांच करवाने हेतु सूचना प्रतिवादीगण को नही दी है जिससे प्रतिवादीगण नमूनें की पुनः जांच कराने के अधिकार से वंचित रहे है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायलय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 04.11.2020 को समय 02.15 पी.एम. पर फर्म रुबी इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. जी–1, 26–27, रिक्को इण्डस्ट्रीयल, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से प्रतिवादी रमेश राणा पुत्र छैलाराम राणा, जाति– भील, निवासी– इन्द्रा कॉलोनी, भीलवास, रानीवाडा रोड, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु फलेवर्ड सुपारी (खश फलेवर्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले फलेवर्ड सुपारी (खस फलेवर्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रतिवादी रमेश राणा को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री हिम्मत सिंह, पटवारी, मण्डार के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व प्रपत्र 5ए में रसीद प्राप्त की, पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र 5ए पर प्रतिवादी रमेश राणा, उक्त गवाह व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रुबी इण्डस्ट्रीज के अन्दर एल्यूमिनियम की परात में बिक्री हेतु मौजूद फलेवर्ड सुपारी (खस फलेवर्ड) 60 किलोग्राम लगभग में से 2 किलोग्राम फलेवर्ड सुपारी (खस फलेवर्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 1000/– (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) नकद अदा कर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक S–1228, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को चार साफ, सूखे, खाली शीशीयां [illegible] (खस फलेवर्ड) को इन चारों शीशीयों में बराबर बरा[illegible] भरा। चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक ले[illegible] को ढक्कन से एयरटाईट [illegible] को अलग–अलग कागज में लपे[illegible] र अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सि[illegible] की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लीप S-1228 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 34/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी रमेश राणा व उक्त गवाहानं के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका रिपोर्ट तैयार की जिसे प्रतिवादी रमेश राणा ने पढ सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर प्रतिवादी रमेश राणा व उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ फलेवर्ड सुपारी (खश फलेवर्ड) का एक नमूना भाग व फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा दिनांक 05.11.2020 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जांच हेतु जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा शेष सीलबन्द तीन नमूना भाग व फार्म नं. 6 का सीलबन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 04.11.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./765/Act/2020/765 दिनांक 03.12.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ फलेवर्ड सुपारी (खश फलेवर्ड) के नमूना संख्या S-1228 में artificial sweetener 'Saccharin' के Contains पाये गये है जो खाद्य सुरक्ष एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (V) का उल्लंधन है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 54 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र संख्याःएफएसएसए/2020/687–89 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा प्रतिवादी रमेश राणा पुत्र चेलाराम राणा, फर्म रुबी इण्डस्ट्रीज, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डार को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाकर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर अपील आवेदन प्रारुप–8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन प्रतिवादीगण ने पुनः जांच हेतु आवेदन नही किया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी रमेश राणा जो फर्म रुबी इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. जी–1, 26–27, रिक्को इण्डस्ट्रीयल, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में मैनेजर की हैसियत से कार्यरत है एवं फर्म रुबी इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. जी–1, 26–27, रिक्को इण्डस्ट्रीयल, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही का [illegible] शब्बीर भाई, बोहरा वास, मण्डार, जिला– सिरोही है। इस प्र[illegible] उक्त [illegible] पदार्थ फलेवर्ड सुपारी (खश फलेवर्ड) के नमूना संख्या S-1228 [illegible] artificial sweetener 'Saccharin' के Contains [illegible] फलेवर्ड सुपारी (खश फलेवर्ड) में बाहय पदार्थ मिलाने के लिये फर्म रु[illegible] इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. जी–1, 26–27, रिक्को इण्डस्ट्रीयल, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के प्रोपराईटर शब्बीर भाई उत्तरदायी है। ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 34/2021	नम्बर व तारिख ७.काम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 54 के तहत प्रतिवादी शब्बीर भाई, बोहरा वास, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म रुबी इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. जी–1, 26–27, रिक्को इण्डस्ट्रीयल, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी शब्बीर भाई, बोहरा वास, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, को आदेशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 11.5.2022 को पेश हो। (कालूराम खौड़) न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:37 IST
Reason: SelfAttested